न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीनअधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2021/20436

/2018

जीत सिंह पुत्र श्री तेजा सिहं जाति जटसिख निवासी अराईयावाली हनुमानगढ़ सहील व जिला हनुमानगढ़ ।

पेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिहं जाति जटसिख निवासी मलकाना खुर्द तहसील श्री रनपुर जिला श्री गगानगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

जीत सिहं पुत्र श्री गरजा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

सरजीत सिहं पुत्र श्री गरजा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

गुरजन्ट सिहं पुत्र श्री गरजा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

गीटन सिहं पुत्र श्री गरजा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

लखवीर सिहं उर्फ लखविन्द्र सिहं पुत्र श्री गुरमेल सिहं जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

सुखविन्द सिहं पुत्र गुरमेलसिहं जाति जटसिख निवासी 8 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

कर्मजीतकौर पत्नि श्री हरबंश सिहं जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

किरण जीतकौर पुत्री श्री हरबंश सिहं जाति जटसिख निवासी 8 टी के तह.रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

9. हरमीत सिहं पुत्र श्री हरबंश सिहं जाति जटसिख निवासी 8टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

10. वीरपालकौर धर्म पत्नी श्री जसकरण सिहं पुत्र श्री गुरमेल सिहं जाति जटसिख निवासी सरदारपुराबीका (खिचियां) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

11. जसपालकौर पुत्र श्री गुरतेज सिहं पुत्र गुरमेल सिहं जाति जटसिख निवासी 45 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

12. जन्टाराम पुत्र श्री सरजीतराम जाति ब्राहम्ण निवासी बुटरबखुआ तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर।

13. सोनुराम पुत्र श्री सरजीतराम जाति ब्राहम्ण निवासी बुटरबखुआ तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 183—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

रजू दिनांक:—07.08.2018

उपस्थिति :—

1. श्री राजाराम पूनिया अधिवक्ता वादीगण ।
2. श्री हरपाल सिहं सूदन अधिवक्ता प्रतिवादीगण [illegible]

13.08.2024

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी [illegible] सिंह [illegible] के द्वारा वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 183—209 राज.काश्त. [illegible] के तहत प्रस्तुत कर [illegible] किया कि वाके चक 8 टी के तहसील रायसिंहनगर की [illegible] 80 के मु.नं. 39 पं.नं. 294/306 के कि.नं. 16 [illegible] 0.177, 25/0.038 कुल 0.215 है. प. न. 192/308 मु.न. 63 के कि.न. 15/1 के 0.042, 16/1 के 0.07[illegible] कुल 0.118है. इस प्रकार दोनों चकों की 0.333 है.नहरी/बारानी भूमि व खाता नं. 111 के प.न. 194/306 मु. न. 39 के कि.न. 15—16/1,17 में 0.316 है. प.न. 192/308 मु.न. 63 के कि.

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

1,15/2, के 0.237 है. कुल 0.553 है. दोनों वादीगण के नाम व बहिस्सा बराबर ी दर्ज है। खाता नं. 139 के प.न. 194/306 मु.न. 39 के कि.न. 1 ता 9 व में 1.973है. , प.न. 191/308 मु.न. 62 के कि.न. 9 –10 सालम कें 0.506 है. प.न. 308 के मु.न. 63 के कि.न. 7/2 , 8, 9/1, 11/2, 12, 13, 14/2 में 0.910है.व 86/309 मु.न. 70 के कि.न. 16/1 के 0.151है. इस प्रकार कुल 3.450है. भूमि नहरी नी में से 1.330 है. वादी बलजीतसिहं व 1.330है. भूमि नहरी/बारानी वादी भूमि सिहं के नाम से खातेदारी भूमि है। इस प्रकार वादीगण के पास 3.546 है बहिस्सा र बराबर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का प्रतिवादीगण ने एक वाद –पत्र रनामा दिनांक 15.6.82 की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री लेने हेतु श्रीमान् अपर ा एवं सैशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में जीतसिंह आदि बनाम सुखदेव आदि वाद सं. 50/09 पेश किया जो दावा पक्षकारान को सुन कर दिनांक 3.2.18 खारिज कर दिया गया। वाद पत्र खारिज होने के पश्चात् वादीगण ने यह भूमि ब्रदेवसिहं, परमजीतकौर, सत्यादेवी,शीलादेवी, कौशल्यादेवी , प्रीतकौर,कृष्णा ,रमनदीपकौर, रपालकौर, राजवीरसिहं व परमजीतकौर से जरिये बैयनामा खरीद कर ली ओर इन्तकाल वादीगण के नाम से दर्ज हो चुका है।

उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा ईकरारनामा दिनांक 15.6.82 की सियत से था जो ईकरारनामा का दावा दिनांक 3.02.2018 को खारिज हो चुका है। इसलिए अब प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 का कब्जा बतौर अतिकमी है, जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को देने के लिए वादीगण के द्वारा दिनांक 22.07.2018 को मुकाम 8टी के में कहॉ तो प्रतिवादीगण ने कब्जा देने से इन्कार हो गये। जमीन का कब्जा नहीं देगें। जमीन की तरफ आये तो जान से हाथ धो बैठोगें चले जाओ । इस प्रकार वादीगण के पास श्रीमान् न्यायालय में चारा जोई करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। विवादित भूमि का मालिक राजस्थान सरकार होने के कारण तहसीलदार रायसिंहनगर को पक्षकार बनाया गया। सहकाश्तकारान अभिलाषा रानी का देहान्त हो चुका है उसके विरूद्व ए.डी.कोर्ट में दावा अबेट हो चुका है। प्रतिवादी सं. 12–13 सहकाश्तकार है इनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इनका हितवादीगण के साथ है। इन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि वाके चक 8टी के तहसील रायसिंहनगर का प.न. 194/306 मु.न. 39 के 2.504है. , प.न. 191/308 मु.न. 62 के 0.506 है. ,प.न. 192/308 मु.न. 63 के 1.265 है, प.न. 186/309 मु.न. 70 के 0.151 है. कुल 4.426 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को अतिक्रमी कब्जा मानते हुए वादीगण को 3.546 है. भूमि व प्रतिवादी सं. 12 व 13 तथा अभिलाषारानी को बकाया भूमि का कब्जा दिलाया जावे। विवादित भूमि प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा न दिया जावे तब तक प्रत्येक वर्ष बीस हजार रूपया प्रतिबीघा के हिस्सा से ठेका राशि साढे तीन लाख नगद न्यायालय में जमा करवाई जावे। अन्य कोई अनुतोष हो वादीगण के पक्ष में हो तो दिलाया जावे।

वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1ता 4 की ओर से श्री हरपाल सिहं सूदन अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 5 ता 10, 12 को रजिस्टर्ड सम्मन एडी भिजवाये जाने पर लेने से इन्कार करने पर एवं हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 13.09.2021 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी सं. 11–13 का सम्मन अखबार में [illegible] गया। प्रतिवादी सं. 11–13 हाजिर नहीं आने पर तथा वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं.1– 13 के विरूद्व [illegible] नहीं चाहते है। इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible] दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को कई अवसर दिये [illegible] प्रस्तुत होने पर दिनांक 7.10.2022 को जबाव दावा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का बन्द किया गया। उक्त आदेश को दिनांक 7.10.2022 को पुनविलोकन प्रा.पत्र [illegible] उक्त आदेश अपास्त किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन को रिकार्ड पर लिया जाता है। जबाव स्टेट राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 14 के द्वारा दिनांक18.10.2022 को प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

गया। वकील वादी बलजीतसिंह पुत्र तेजा सिहं जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 8 नियम 9 व 151सीपीसी का प्रस्तुत दिनांक18.10.2022को प्रस्तुत किया । जिसकी वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई। वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11 को प्रस्तुत किया।दोनों पक्षों को सुनने उपरान्त प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र 8 नियम 9 व 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादीगण के द्वारा प्रस्तुत व उल जबाव रिकॉर्ड लिये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में निम्न तनकीयात की गई कि :–

आया कि विवादित भूमि ग्राम 8 टीके तहसील रायसिंहनगर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 111 में दर्ज मु.नं. 39, 63 की कुल 0.553है. नहरी/बारानी एवं खाता सं. 80 में दर्ज मु.नं. 39, 63 की कुल 0.333है. नहरी बारानी एवं खाता सं. 139 में दर्ज मु.नं. 39,62, 63,70 की कुल 3.540है. नहरी बारानी भूमि वादीगण की खातेदारी क्रयशुदा भूमि हैं?

– वादीगण

आया कि विवादित भूमि के पूर्व के खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित ईकरारनामा दिनांक 15.06.1982 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद जो श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्र.सं. 50/2009 प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया था, खारिज हो चुका हैं ?

– वादीगण

3. आया कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 11, वादीगण की खातेदारी क्रयशुदा विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है, जिन्हें हटाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रति वर्ष प्रति बीघा बीस हजार रूपये के हिसाब से ठेका राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

–वादीगण

4. आया कि वादीगण पंजाब निवासी होने तथा राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के कारण भूमि खरीद करने के अधिकारी नहीं थे ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

5. आया कि भूमि का ईकरारनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में होने के कारण पूर्व के खातेदारों को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था, श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विचाराधीन हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

6. आया कि राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जाने के कारण वाद खारिज योग्य हैं?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

7. आया कि सिविल न्यायालय में वाद के विचारित रहने के दौरान वादीगण को प्रतिदावा पेश करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, इस कारण प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

8. आया कि वाद बाहर मियाद होने के कारण खारिज योग्य हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

9. आया कि वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाने तथा विवादित भूमि के सहकाश्तकार मृतक अभिलाषा रानी के वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं करने के कारण वाद खारिज योग्य हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

10. अनुतोष, न्यायालय की आज्ञा से।

वादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में बलजीतसिहं पुत्र तेजा सिहं के ब्यान करवाये । उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वाके चक 8 टी के की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता नं. 111 प्रर्दश –1 , खाता सं. 80 प्रर्दश–2, खाता ... प्रर्दश–3 , न्यायालय अपन जिला सैशन न्यायाधीश निर्णय दिनांक 03.02.20... की प्रमाणित प्रति प्रर्दश... करवाये। प्रति प्रर्दश–4 एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रर्दश... करवाये। वकील प्रतिवादीगण ने अपने तहरीर साक्ष्य में ...सिहं पुत्र ... सिहं के ब्यान करवाये।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी। ... ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

पत्र निष्पादित ईकरारनामा दिनांक 15.06.1982 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद जो
[illegible] अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्र.सं. 50/2009
[illegible]वादीगण द्वारा पेश किया गया था, खारिज हो चुका हैं । वादीगण का वाद पत्र डिकी किये
[illegible] हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण अपन जबाव दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये
[illegible] किया कि विवादित भूमि उनकी जरिये इकरारनामा खरीद शुदा है। जिसपर हमारा कब्जा
[illegible]वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्यो
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गय। तनकी बार निर्णय निम्न प्रकार से है कि :-

[illegible] आया कि विवादित भूमि ग्राम 8 टीके तहसील रायसिंहनगर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं. 111 में दर्ज मु.नं. 39, 63 की कुल 0.553है. नहरी/बारानी एवं खाता सं. 80 में दर्ज मु.नं. 39, 63 की कुल 0.333है. नहरी बारानी एवं खाता सं. 139 में दर्ज मु.नं. 39,62, 63,70 की कुल 3.540है. नहरी बारानी भूमि वादीगण की खातेदारी क्रयशुदा भूमि हैं ?

– वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा प्रस्तु

[illegible] चक 8 टी के की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं. 135/157 के प.न. 194/306 [illegible]39 के 0.3160 है. व प.न.192/308 मु.न. 63 के 0.5530है. नहरी भूमि राजवीर शर्मा पुत्र दर्शन [illegible]कुमार कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम नं. 10–11–12 में नोट अंकित है कि नामा. सं. 491 निर्णय दिनांक 22.5.20018 के अनुसार बेचान बलजीतसिहं वल्द तेजा सिहं 1/2 हि. व भूपेन्द्र सिहं पुत्र नत्थसिंह 1/2 हिस्सा बहिब जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरनपुर के नाम खातेदार दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी प्रर्दश –1 है। वाके चक 8 टी के की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं. 135/157 के प.न. 194/306 मु.न. 39 के 0.2150 है. व प.न.192/308 मु.न. 63 के 0.1180है. नहरी भूमि परमजीतकौर पुत्र दर्शन कुमार , रमनदीपकोर , वीरपालकोर पि. दर्शन कुमार कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार ई.न. 314 डिकी दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम नं. 10–11–12 में नोट अंकित है कि नामा. सं. 492 निर्णय दिनांक 22.5.20018 के अनुसार बेचान बलजीतसिहं वल्द तेजा सिहं 1/2 हि. व भूपेन्द्र सिहं पुत्र नत्थसिंह 1/2 हिस्सा बहिब जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरनपुर के नाम खातेदार दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी प्रर्दश–2 है। वाके चक 8 टी के की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता नं. 139/135 के प.न. 194/306 मु.न. 39 के 1.9730 है. व प.न. 191/308 मु.न. 62 के 0.506 है. नहरी भूमि सुखदेव राम , शीलादेवी कृष्णादेवी ,प्रीतकोर ,कोशल्यादेवी पि. सोहनलाल हरपांच बहिब 2.220है. अभिलाशारानी पत्नि गुरदेवराम .440 हि. गिरधारीलाल ,संदीपकुमार ,शिमलारानी, शकुन्तलादेवी ,कृष्णादेवी राजरानी माता सत्यादेवी पुत्री मोहनलाल हर छःबहिब .440 है. जन्टाराम सोनु माता छिन्द्रकौर पुत्री मोहनलाल बहिब .440है. कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार ई.न. 314 डिकी दर्ज है। इसी जमाबन्दी के कॉलम नं. 10–11–12 में नोट अंकित है कि नामा. सं. 493 निर्णय दिनांक 22.5.20018 के अनुसार बेचान सुखदेवराम वगैराह 2.220 है. गिरधारीलाल वगैराह .440है. वाया बलजीतसिहं वल्द तेजा सिहं 1.330 है. कोम जटसिख सा. अरायावाली तहसील हनुमानगढ़ भूपेन्द्र सिहं वल्द नन्द सिहं 1.330है. कोम जटसिख सा. मालकानाखुर्द तहसील श्रीकरनपुर बाकी खाता बदस्तूर । जिसकी जमाबन्दी प्रर्दश–3 है। उक्त तथ्यों की पृष्टि वादी बलजीतसिंह पुत्र तेजा सिहं ने अपने ब्यानों में की है। इस के खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ की जाती है।

2. **आया कि विवादित भूमि के पूर्व के खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित ईकरारनामा दिनांक 15.06.1982 की विनिर्दिष्ट [illegible] जो श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्र.सं. 50/2009 [illegible] द्वारा पेश किया गया था, खारिज हो चुका हैं ?**

[illegible] – वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा [illegible]वेज श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के प्रकरण सं. 50/2009 [illegible] जीतसिहं वगैरा बनाम सुखदेव सिहं वगैरा इकरारनामा दिनांक 16.1.1982 की [illegible] वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.2.2018 को खारिज किया जा चुका [illegible] इसकी पृष्टि वादीगण अपने ब्यानों में करते है। प्रतिवादी गुरजन्ट सिंह पुत्र गरजा [illegible] अपने ब्यानों में स्वीकार करते है कि उक्त वाद विनिर्दिष्ट अनुपालना का खारिज हो चुका है। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

ल आगे नहीं की है। जिसकी निर्णय दिनांक 03.02.2018 की प्रति प्रर्दश–4 है। इस
की का निर्णय वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ किया जाता है।

या कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 11, वादीगण की खातेदारी क्रयशुदा विवादित भूमि पर र अतिक्रमी काबिज है, जिन्हें हटाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा वर्ष प्रति बीघा बीस हजार रूपये के हिसाब से ठेका राशि प्राप्त करने के धिकारी हैं ?

–वादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। विवादित भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी प्रर्दश–1–2–3 है। इस तथ्य की पृष्टि वादी अपने ब्यानों में करता है। प्रतिवादीगण भी यह तथ्य अपने ब्यानों में स्वीकार करते है कि विवादित भूमि पर अतिकमी की हैसियत से काबिज है। इस तनकी का अधिकतर निर्णय तनकी नं. 1 में किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के द्वारा इकरारनामा दिनांक 16.1.82 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद–पत्र श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश रायसिहंनगर के यहॉ प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय दिनांक 03.02.2018 को प्रतिवादीगण का वाद पत्र खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये है। यह तथ्य प्रतिवादी ने अपने ब्यानों के जिरह में अंकित किया है। प्रतिवादी गुरजन्ट सिहं ने अपनी जिरह में यह कहॉ कि विवादित भूमि के इकरारनामा का दावा हमने न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश रायसिंहनगर में पेश किया था जो दिनांक .03.02.2018 को खारिज हो चुका है। अज खुद कहा कि हाईकोर्ट में अपीलचल रही है। हाईकोर्ट में अपील चलने बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया। यह बात सही है। विवादित भूमि पर वादीगण के नाम इन्तकाल जमाबन्दी में दर्ज है। दावा इकरारनामें का दिनांक 3.02.2018 को खारिज होने के बाद हम बतौर अतिकर्मी काब्जि है। यह बात सही है कि पानी की पची हमारे नाम पास इस फाईल में नहीं लगायी। यह कहना गलत है कि पानी की पर्ची इसलिए फाईल में न लगायी हो, क्यों कि पानी की पर्ची हमारे नाम से न हो। इकरारनामा दिनांक 16.1.82 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद–पत्र श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश रायसिहंनगर के यहॉ प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय दिनांक 03.02.2018 को प्रतिवादीगण का वाद पत्र खारिज किया जा चुका है। विवादित भूमि पर बतौर अतिकर्मी की हैसियत से काबिज चल आकर अनाधिकृत लाभ उठा रहे। ऐसी स्थिति में इस तनकी निर्णय वादीगण के पक्ष किया जाता है।

4.आया कि **वादीगण पंजाब निवासी होने तथा राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के कारण भूमि खरीद करने के अधिकारी नहीं थे ?**

– :प्रतिवादी सं. 1 से 4

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1ता 4 पर था। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने समय आधार कार्ड सरजीतसिहं पुत्र गरजा सिहं , गुरजन्ट सिहं पुत्र गरजासिहं , गीटनसिहं पुत्र गरजा सिहं का प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवास स्थान 8 टी के अंकित है। जो अपने ब्यानों में एग्विजिट नहीं करवाये । ना ही मूल निवास प्रमाण –पत्र राजस्थान के प्रस्तुत किये है। ऐसे में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. 1ता 4 के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।

5.आया कि भूमि का ईकरारनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में होने के कारण पूर्व के खातेदारों को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था, श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में विचाराधीन हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पर था। विवादित भूमि प्रर्दश–1 के अनुसार राजवीर शर्मा पुत्र दर्शनकुमार , प्रर्दशन–2 के अनुसार परमजीमकोर पत्नि दर्शन कुमार , रमनदीपकौर ,वीरपालाकौर पि. दर्शन कु[illegible] 3 के अनुसार [illegible] राम शीलादेवी कृष्णादेवी ,प्रीतकोर ,कोशल्यादेवी पि. सोहनलाल हरपाच[illegible] अभिलाशा [illegible] ,कृष्णा रानी पत्नि गुरदेवराम .440 हि. गिरधारीलाल ,[illegible] देवी राजरानी माता सत्यादेवी पुत्री मोहनलाल [illegible] खातेदार छिन्द्रकौर पुत्री मोहनलाल बहिब .440 है कोम [illegible] दर्ज थी। उसके पश्चात् वादीगण के नाम दर्ज [illegible] किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के इकरारनामा विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद–पत्र श्रीमान् अपर जिला ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। इस तनकी को अधिकतर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

याधीश रायसिंहनगर के न्यायालय में पेश किया जो खारिज किया जा चुका है। जो निर्णय शा–4 है। इसकी पुष्टि वादी अपने ब्यानो में करते है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. ता 4 विरूद्व किया जाता है।

ाया कि राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जाने के कारण वाद खारिज योग्य हैं ?

– प्रतिवादी सं. 1 से 4

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण के द्वारा वाद–पत्र में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार (राजस्व)रायसिहंनगर को पक्षकार प्रतिवादी सं. 14 पर स्थापित कर रखा है। जिनके द्वारा जवाबदावा भी दिनांक 18.10.2022को प्रस्तुत किया हुआ है। इस के खण्डन में प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्व तथा वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आया कि सिविल न्यायालय में वाद के विचारित रहने के दौरान वादीगण को प्रतिदावा पेश करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, इस कारण प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं ? **– प्रतिवादी सं. 1 से 4**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पर था। विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादीगण के द्वारा श्रीमान् अपर सैंशन न्यायाधीश रायसिहंनगर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.02.2018 को खारिज किया जा चुका है। जिस निर्णय की प्रति प्रर्दश–4 है। वादीगण ने अपने ब्यानों में प्रर्दश करवाई है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 183–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुंत कर अनुतोष चाहा है। जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। इस के खण्डन में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. 1ता 4 के खिलाफ वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

. आया कि वाद बाहर मियाद होने के कारण खारिज योग्य हैं ? **– प्रतिवादी सं. 1 से 4**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पर था। वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 183–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुंत कर अनुतोष चाहा है। जिसकी कोई मियाद नहीं है। इसके खण्डन में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस तनकी को साबित करने प्रतिवादी सं. 1 ता 4 असफल रहें है। इस तनकी को वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

9. आया कि वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाने तथा विवादित भूमि के सहकाश्तकार मृतक अभिलाषा रानी के वारिसान को पक्षकार संयोजित नहीं करने के कारण वाद खारिज योग्य हैं ? **– प्रतिवादी सं. 1 से 4**

इस तनकी को सिद्व करने का प्रतिवादी सं. 1 ता 4 पर था। वादीगण के द्वारा सहकाश्त कारान से अनुतोष नहीं चाहा। सहकाश्तकारान अभिलाषा रानी का देहान्त हो चुका है ,उसके विरूद्व श्रीमान् अपर सैंशन न्यायाधीश रायसिंनगर के न्यायालय में दावा एबेट को चुका है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित कर आ रहे है। अपने हिस्सा तक ही अनुतोष प्रतिवादीगण से ही प्राप्त करने का है। इस तनकी का निर्णय अधिकतर तनकी नं. किया जा चुका है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्व किया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

1. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 183–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि वाके चक 8 टी के तहसील रायसिंहनगर का प.न. 194/306 मु.न. 39 के 2.504है. प.न. 191/308 मु.न. 62 के 0.506 है. प.न. 192/308 मु.न. 63 के 1.265 है. प.न. [illegible] कुल 4.426 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को अतिकमी कब[illegible] वादीगण को 3.546 है. भूमि व प्रतिवादी सं. 12 व [illegible] भूमि का कब्जा दिलाया जाने हेतु तहसीलदार [illegible] के नाम [illegible] जारी हो। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। प[illegible] होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखि[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:47 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner